

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)  
पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 74/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां

(निगराकार)

बनाम

1. बिरधीचंद पुत्र गोबरीलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम ईश्वरपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां
2. ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति अन्ता जिला बारां (राज0)

(गैरनिगराकारान)



निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :- 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक

(निगराकार)

निर्णय दिनांक 26.07.2023

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा ने दिनांक 05.06.2004 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 112 साइज 42X33 कुल क्षेत्रफल 1386 वर्गमीटर का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरुद्ध व अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है किन्तु गैर निगराकार को दिया गया पट्टा 150 वर्गगज से अधिक होने से इस नियम का उल्लंघन है अस्तु पट्टा निरस्तनीय है। पंचायत ने निर्धारित दर (नियम 156(2) में प्रावधानित) से कम राशि प्राप्त कर मनमाने तरीक से नियम विरुद्ध पट्टा जारी कर पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। अंकेक्षण वर्ष 2004-05 की ऑडिट रिपोर्ट में भी आक्षेप गठित कर उल्लेखित किया गया है कि गैरनिगराकार से 11088/- रुपये अन्तर राशि कम प्राप्त की गई है, जो वसूल योग्य मानी गयी है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 05.06.2004 को जारी पट्टा संख्या 112 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर  
बारां (राज0)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 व 2 पूर्व से ही बावजूद सूचना निरन्तर उपस्थित रहने से प्रकरण में एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार की सुनकर प्रकरण का गुणाव आधार पर निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से प्रकरण के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बिरधीलाल पुत्र

गोबरीलाल धाकड निवासी ईश्वरपुरा को पट्टा खसरा नंबर 313 में दिया गया है। इस संबंध में राजस्व रेकार्ड से जांच करने पर खसरा नंबर 313 किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है। मौके पर किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण नहीं है। भूमि खाली पड़ी हुई है तथा मौके पर स्वयं पट्टाधारी का कब्जा बताया गया है।

हमने बहस एकपक्षीय अभिभाषक निगराकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध पट्टा जारी कर निर्धारित राशि से कम राशि प्राप्त कर ग्राम पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 112 दिनांक 05.06.2004 निरस्त फरमाया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को 1386 वर्गमीटर का पट्टा जारी किया गया है। उपखण्ड अधिकारी मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली होना तथा पट्टाधारी स्वयं का कब्जा होना बताया गया है। परन्तु पट्टाधारी ने अंकेक्षण दल द्वारा आक्षेपित राशि जमा नहीं कराई गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी सशर्त स्वीकार की जाती है, यदि गैरनिगराकार क्रम 1 शेष राशि 11088/- रुपये एक माह में जमा करा देवे तो पट्टा बहाल रखा जावेगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराये जाने पर ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा द्वारा गैरनिगराकार क्रम-1 बिरदीचंद पुत्र गोबरीलाल, जाति धाकड निवासी ग्राम ईश्वरपुरा के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 112 दिनांक 05.06.2004 क्षेत्रफल 1386 वर्गमीटर निरस्त समझा जावेगा तथा पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर, बारा  
बारा (राज०)